2 $\frac{5}{[illegible]}$ [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2017	6.04.2017	25/5/2018

अनुवान

1. अभय सिंह पुत्र श्री फूल सिंह उम्र सिंह करीब 45 साल जाति जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:-वादी

बनाम

1. करण सिंह पुत्र हरिसिंह जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:-प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा
88, 89 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955

उपस्थितः– श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादी

वादीने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद इस काश्य का पेश किया कि विवादित आराजी ख0स0 305 रकबा 1.08 बीघा दरज खाता 5 वाके ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है । जमाबंदी संवत 2071–2074 लफे हाजा है। विवादित आराजी मिन वादी ने जरिये रजि0 बयनामा नारायण सिंह पुत्र रामलाल जाट ग्राम करवड से बाजाब्ता बाकब्जा समस्त प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की है वक्त खरीद से ही शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। प्रति0 का विवादित आराजी से कोई सरोकार व संबंध ना तो था और ना ही है।विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सहवन से राजस्व कर्मचारीयान अधिकारीयान द्वारा प्रतिवादी सं0 1 करणसिंह पुत्र हरिसिंह जाट सा0 देह शिकमी हाल 14 दर्ज कर दिया गया है कि जो खिलाफ मोका एवं खिलाफ कानुन है। जबकि विवादित आराजी से प्रतिवादी सं0 1 का कभी भी कोई संबध वा सरोकार ना तो था और ना ही है। राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी में जो राजस्व अधिकारीयान कर्मचारीयान द्वारा प्रति0 1 के नाम का जो अंकन शिकमी साल 14 दर्ज किया गया है कि जिस अंकन के रखने से मिन वादी के अधिकारो पर कुठाराघात होता है। इसलिए मिन वादी ने प्रति0 से उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने हेतु कहा जो आज कल आज कल कह कर टाल बाल करते रहे लेकिन अब दिनांक 03.04. 2017 को सक्षम न्यायालय से दुरूस्त कराने हेतु कहा है। मिन वादी के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है इसलिए अपने अधिकारों की रक्षार्थ वादी उक्त गलत अमल को दुरूस्त कराने के

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अधिकारी है अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज करना लाजिम आया । वादमें राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार लैंण्ड होल्डर को बिना 2 माह नोटिस दिये ही पक्षकार बनाया गया है। जबकि उनको वाद से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना कावश्यक था । मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण पेश किया गया है। इसलिए हाल आराजी ख0न0 305 रकबा 1–08 बीघा ग्राम करवड तहसील कोटकासिम से करण सिंह पुत्र हरिसिंह जाट सा0 देह सिकमी साल 14 को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्ती फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या –1 की तामील जरियें रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसलिए इनके खिलाफ 6/12/2017 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार तहसीलदार कोटकासिम द्वारा जवाब दावा पेश किया गया । जिसमें अंकित किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है। नियमानुसार साक्ष्य सबूत के आधार पर कार्यवाही अपेक्षित है। अभय सिंह पुत्र फूल सिंह के साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया।

बहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई। विद्ववान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी ख0स0 305 रकबा 1.08 बीघा दरज खाता 5 वाके ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है । जमाबंदी संवत 2071–2074 लफे हाजा है। विवादित आराजी मिन वादी ने जरिये रजि0 बयनामा नारायण सिंह पुत्र रामलाल जाट ग्राम करवड से बाजाब्ता बाकब्जा समस्त प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की है वक्त खरीद से ही शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। प्रति0 का विवादित आराजी से कोई सरोकार व संबंध ना तो था और ना ही है।विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सहवन से राजस्व कर्मचारीयान अधिकारीयान द्वारा प्रतिवादी सं0 1 करणसिंह पुत्र हरिसिंह जाट सा0 देह शिकमी हाल 14 दर्ज कर दिया गया है कि जो खिलाफ मोका एवं खिलाफ कानुन है। जबकि विवादित आराजी से प्रतिवादी सं0 1 का कभी भी कोई संबध वा सरोकार ना तो था और ना ही है। राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी में जो राजस्व अधिकारीयान कर्मचारीयान द्वारा प्रति0 1 के नाम का जो अंकन शिकमी साल 14 दर्ज किया गया है कि जिस अंकन के रखने से मिन वादी के अधिकारो पर कुठाराघात होता है। इसलिए मिन वादी ने प्रति0 से उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने हेतु कहा जो आज कल आज कल कह कर टाल बाल करते रहे लेकिन अब दिनांक 03.04.2017 को सक्षम न्यायालय से दुरूस्त कराने हेतु कहा है। मिन वादी के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है इसलिए अपने अधिकारों की रक्षार्थ वादी उक्त गलत अमल को दुरूस्त कराने के अधिकारी है अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज करना लाजिम आया । वादमें राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार लैंण्ड होल्डर को बिना 2 माह नोटिस दिये ही पक्षकार बनाया गया है। जबकि उनको वाद से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना कावश्यक था । मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण पेश किया गया है। इसलिए हाल आराजी ख0न0 305 रकबा 1–08 बीघा ग्राम करवड तहसील कोटकासिम से करण सिंह पुत्र हरिसिंह जाट सा0 देह सिकमी साल 14 को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्ती फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर अमल किया एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात पर गोर किया गया । वादी अधिवतकता का कथन है की विवादित आराजी का वादी ने रजिस्टर्ड बयनामा नारायण सिंह पुत्र रामलाल जाट ग्राम करवड से बाजाप्ता बाकबजा प्रतिफल की राशी अदा कर खरीद की है। प्रतिवादी संख्या 1 का इस विवादित आराजी से कोई लेना देना संबन्ध व सरोकार ना तो था व नही है। राजस्व अधिकारियान कर्मचारियान द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अंकन सिकमी साल 14 दर्ज किया गया है । वह गलत है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व जमाबंदियात से हजफ किये जाने योग्य है। जमाबन्दी संम्वत 2071–74 का अवलोकन किया जिमें अंकित है अभय सिंह पुत्र फूल सिंह जाट सा0 देह खातेदार कर्णसिंह पुत्र हरिसिंह जाट सा0 देह सिकमी साल 14 अंकित है। रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 06.06.1991 का अवलोकन किया जिसमें विवादित आराजी ख0न0 305 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जो नारायण सिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी करवड़ की खातेदारी भूमि थी। उसे अभ्य सिंह पुत्र फूल सिंह जाति जाट निवासी करवड़ द्वारा खरीद की गई। विवादित आराजी खातेदारी की भूमि है। जिसमें दर्ज सिकमी साल 14 करण सिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट का नाम कलमजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः विवादित आराजी ख0न0 305 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से कर्णसिंह पुत्र हरीसिंह जाट सा0 देह सिकमी साल 14 को हाल जमाबन्दी से कलमजन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2017	6.04.2017	2/5/2018

अनुवान

1. अभय सिंह पुत्र श्री फूल सिंह उम्र सिंह करीब 45 साल जाति जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:–वादी

बनाम

1. करण सिंह पुत्र हरिसिंह जाट निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा
88, 89 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955

उपस्थितः– श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादी

अतः विवादित आराजी ख0न0 305 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से कर्णसिंह पुत्र हरीसिंह जाट सा0 देह सिकमी साल 14 को हाल जमाबन्दी से कलमजन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/5/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

Scanned by CamScanner